



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 16, 2018/फाल्गुन 25, 1939

No. 144]

NEW DELHI, FARIDAY, MARCH 16, 2018/PHALGUNA 25, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2018

सा.का.नि 234(अ).—पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, उक्त नियम के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन जनहित में दी गई सूचना की अपेक्षा करने के पश्चात्, तारीख 28 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि 343 (अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018" है।
(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (जिन्हें इसमें इसके बाद मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 के उप-नियम (2) में, -
 - (i) खंड (ग) में, "नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

- (ii) खंड (ड.) में, " परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापारीय संचलन) नियम, 2016" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे; और
- (iii) खंड (च) में, "ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2011" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

3. मूल नियम में, नियम 4 में, -

(i) खंड (ग) में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) या राष्ट्रीय से शुरू होने वाले तथा "सुविधा में भेजेगा; से अंत होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) या स्वास्थ्य परिचर्या कार्य-कलापों से उत्पन्न अपशिष्टों के सुरक्षित प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देशों और डब्ल्यूएचओ ब्लू बुक, 2014 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार प्रयोगशाला अपशिष्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल अपशिष्ट, रक्त के नमूनों और रक्त की थैलियों का विसंक्रमण अथवा जीवाणुनाशन के ज़रिए स्थल पर पूर्व शोधन करेगा और उसके बाद अंतिम निपटान के लिए साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा में भेजेगा;"

(ii) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात्:-

"(घ) 27 मार्च, 2019 तक क्लोरीनेटड प्लास्टिक की थैलियों (रक्त की थैलियों को छोड़कर) और दस्तानों के प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना;"

(iii) खंड (झ) में, "इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर किसी भी प्रयोजन के लिए रखना" शब्दों के स्थान पर "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तारीख 27 मार्च, 2019 तक और शोधन तथा निपटान के लिए" शब्दों एवं अंकों को रखा जाएगा;

(iv) खंड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(त), सभी स्वास्थ्य देख-भाल सुविधाएं (चाहे वहां बिस्तरों की संख्या कितनी भी हो) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2018 के प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के भीतर अपनी वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगी"।

4. मूल नियमों में, नियम (5) में, खंड (ग) में, "एक वर्ष के अंदर" शब्दों के स्थान पर "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 27 मार्च, 2019 तक" शब्दों, अक्षरों और अंकों को रखा जाएगा।

5. मूल नियमों में, नियम 7 में, खंड (8) में -

(क) "गैर-क्लोरीनीकृत प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद कर दिया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "क्लोरीनीकृत प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग बंद कर दिया जाएगा" शब्दों को रखा जाएगा;

(ख) "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2011" शब्दों और अंकों के स्थान पर "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016" शब्दों और अंकों को रखा जाएगा।

6. मूल नियमों में, नियम 13 में, उप-नियम (2) में, "को या उसके पूर्व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को" शब्दों के स्थान पर "से पूर्व प्रपत्र IV क में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों को रखा जाएगा।

7. मूल नियमों की अनुसूची I में, -

(क) भाग 1 के अधीन दी गई सारणी में -

(i) 'पीला' श्रेणी के सामने, -

(क) स्तंभ (2) के अधीन मद (छ) में, "शारीरिक द्रव" शब्दों के पश्चात्, "दैनिक मास्क और गाउन" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) मद (ज) में स्तंभ (3) के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-
"ऑटोक्लेव या माइक्रोवेव या हाइड्रोक्लेव सुरक्षित प्लास्टिक की थैलियां या आधान"

(ग) मद (ज) में स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टि में, "राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के अनुसार" से शुरू हो रहे तथा "भस्मीकरण के लिए" पर समाप्त हो रहे भाग के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् :-

"इसके बाद भस्मन के लिए स्वास्थ्य देखरेख कार्यकलापों से अपशिष्टों के सुरक्षित प्रबंधन संबंधी विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों और डब्ल्यूएचओ ब्लू बुक, 2014 के अनुसार स्थल पर गैर-क्लोरीनीकृत रसायनों से पूर्व उपचारित अथवा स्टेरेलाइज:-

(ii) 'नीली' श्रेणी के सामने -

(क) मद (क) में स्तंभ (3) के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-
"(क) नीले रंग की मार्किंग वाले पंकचर पूफ और लीक पूफ बक्से या आधान";

(ख) मद (ख) में स्तंभ (3) के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :-
"(ख) नीले रंग की मार्किंग वाले पंकचर पूफ और लीक पूफ बक्से या आधान";

(iii) टिप्पण में, शब्दों और आंकड़ों "अनुसूची-III" के स्थान पर, शब्द और आंकड़े "अनुसूची-II" रखे जाएंगे;

(ख) भाग-2 में, मद (2) में, आंकड़ों "10%" के स्थान पर, आंकड़े "1% से 2% तक" रखे जाएंगे;

8. मूल नियमों की अनुसूची-II में,-

(i) क्रम संख्या 1 में, "उत्सर्जन मानक" से संबंधित भाग ख के अधीन सारणी में, स्तंभ (3) के शीर्षक में, "mgNm³" अक्षरों और आंकड़ों के स्थान पर, अक्षर और आंकड़े "mg/Nm³" रखे जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 8 में, मद (1) में, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"टिप्पण -

1. उपरोक्त सीमाएं, उन स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं (विस्तर वाली) के मालिकों पर लागू हैं, जो या तो टर्मिनल पर मलजल शोधन संयंत्र रहित मल-निर्यास नेटवर्क से जुड़ी हैं या सार्वजनिक सीवरों से नहीं जुड़ी हैं।

2. टर्मिनल सुविधाओं वाले सार्वजनिक सीवरों में निस्सारण हेतु, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अंतर्गत यथा अधिसूचित सामान्य मानक लागू होंगे।

3. 10 बिस्तरों से कम वाली स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं को 31 दिसम्बर, 2019 तक मलजल शोधन संयंत्र संस्थापित करने होंगे।

4. बिना बिस्तर वाली स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं के मालिक, मूल नियमों की अनुसूची-II (6) के अनुसार विसंक्रमण द्वारा उपचार के बाद ही संक्रमित द्रव अपशिष्ट का निपटान करेंगे।"

9. मूल नियमों की अनुसूची-III में,-

(i) क्रम संख्या 3 के सामने, स्तंभ (3) के अधीन मद (i) में, कोष्ठक, शब्द और आंकड़े "(नियम 9)" के स्थान पर कोष्ठक, शब्द और आंकड़े "(नियम 10)" रखे जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 4 के सामने, स्तंभ (3) के अधीन मद (viii) में, कोष्ठक, शब्द और आंकड़े "(नियम 9)" के स्थान पर कोष्ठक, शब्द और आंकड़े "(नियम 12)" रखे जाएंगे।

10. मूल नियमों में, प्रारूप IV के पश्चात् निम्नलिखित प्रारूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"प्रारूप IV क

[नियम 13 (2) देखें]

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर वार्षिक रिपोर्ट संबंधी सूचना के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रारूप (राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों अथवा प्रदूषण नियंत्रण समितियों और महानिदेशक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं द्वारा पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष की जनवरी से दिसम्बर तक की अवधि के लिए हर वर्ष की 31 जुलाई तक अथवा उसके पहले केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना है)।

भाग-I (सूचना का सारांश)

- | | | |
|-----|--|---|
| (1) | संगठन का नाम- | : |
| (2) | नोडल अधिकारी का नाम, टेलीफोन सं. और ई-मेल पते सहित - | : |
| (3) | स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं/अधिभोगियों की कुल संख्या- | : |
| | (i) बिस्तर युक्त अस्पताल और नर्सिंग होम (बिस्तर युक्त) | : |
| | (ii) क्लीनिक, औषधालय | : |
| | (iii) पशु चिकित्सा संस्थान | : |
| | (iv) पशु आश्रय गृह | : |
| | (v) पैथोलॉजिकल प्रयोगशालाएं | : |
| | (vi) रक्त बैंक | : |
| | (vii) क्लीनिकल प्रतिष्ठान | : |
| | (viii) अनुसंधान संस्थान | : |
| | (ix) आयुष | : |
| (4) | बिस्तरों की कुल संख्या | : |

- (5) प्राधिकार की स्थिति :
- (i) प्राधिकार के लिए आवेदन करने वाले अधिभोक्ताओं की कुल संख्या :
- (ii) प्राधिकार प्रदान किए गए अधिभोक्ताओं की कुल संख्या :
- (iii) विचाराधीन आवेदन पत्रों की कुल संख्या :
- (iv) अस्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों की कुल संख्या :
- (v) प्राधिकार के लिए बिना आवेदन प्रचालन कर रहे अधिभोक्ताओं की कुल संख्या :
- (6) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट सृजन की मात्रा (किग्रा/दिन में) :
- (कृपया भाग-2 के अनुसार जैव-चिकित्सा अपशिष्ट सृजन संबंधी जिला-वार सूचना संलग्न करें)
- (i) बिस्तरों की सुविधाओं से युक्त अस्पतालों द्वारा उत्सर्जित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (किलो/प्रतिदिन में):
- (ii) बिस्तरों की सुविधाओं के बिना अस्पतालों द्वारा उत्सर्जित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (किलो/प्रतिदिन में):
- (iii) कोई अन्य :
- कुलप्रति कि./दिन
- (7) जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का शोधन और निपटान :
- (क) कैप्टिव जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन द्वारा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केन्द्रों द्वारा निपटान (कृपया भाग-3 के अनुसार ब्यौरा संलग्न करें):
- (i) कैप्टिव शोधन और निपटान सुविधाओं युक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केन्द्रों की संख्या:
- (ii) कैप्टिव शोधन सुविधाओं द्वारा शोधित और निपटान की गई जैव-चिकित्सा अपशिष्ट की कुल मात्रा (कि.ग्राम/दिन में):
- (ख) साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधाओं द्वारा शोधित और निपटान की गई जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (कृपया भाग 4 के अनुसार ब्यौरा संलग्न करें) :
- (i) प्रचालन कर रहे साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधाओं की संख्या :
- (ii) निर्माणाधीन साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधाओं की संख्या :
- (iii) शोधित किए गए जैव-चिकित्सा अपशिष्ट की कुल मात्रा (कि.ग्रा/दिन में) :
- (iv) प्राधिकृत पुनचक्रणकर्ताओं के माध्यम से निपटान किए गए शोधित किए गए जैव-चिकित्सा अपशिष्ट की कुल मात्रा (किग्रा/दिन में):
- (8) निम्नलिखित द्वारा उल्लंघन किए गए मामलों की कुल संख्या :
- (i) स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केन्द्रों (बिस्तर की सुविधाओं सहित और बिना बिस्तर की सुविधाओं के):
- (ii) साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा केन्द्रों :
- (iii) अन्यो (कृपया विनिर्दिष्ट करें) :

(घ) साझा जैव-चिकित्सा सुविधाओं द्वारा सूचित की गई दुर्घटनाओं की संख्या"

[फा. सं. 3-1/2000-एचएसएमडी]

रीतेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 28 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 343 (अ) के अधीन प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2018

G.S.R. 234 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide G.S.R. 343(E), dated the 28th March, 2016, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules in public interest, namely:—

1. (1) These rules may be called the Bio-Medical Waste Management (Amendment) Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, in sub-rule (2),—
 - (i) in clause (c), for the words, brackets and figures “Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000”, the words and figures “Solid Waste Management Rules, 2016” shall be substituted;
 - (ii) in clause (e), for the words, brackets and figures “Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008”, the words, brackets and figures “Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016”, shall be substituted; and
 - (iii) in clause (f), for the words, brackets and figures “E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011”, the words, brackets and figures “E-Waste (Management) Rules, 2016”, shall be substituted.
3. In the principal rules, in rule 4,—
 - (i) in clause (c), for the portion beginning with “or National and ending with final disposal”, the following shall be substituted, namely:—
“(c), guidelines on Safe management of wastes from health care activities and WHO Blue Book, 2014 and then sent to the Common bio-medical waste treatment facility for final disposal;”.
 - (ii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—
“(d) phase out use of chlorinated plastic bags (excluding blood bags) and gloves by the 27th March, 2019;”.
 - (iii) in clause (i), for the words “place for any purpose within one year from the date of the notification of these rules”, the words and figures “for the further treatment and disposal in accordance with the guidelines issued by the Central Pollution Control Board by 27th March, 2019” shall be substituted;
 - (iv) for clause (p), the following clause shall be substituted, namely:—
“(p) ,all the health care facilities (any number of beds) shall make available the annual report on its web-site within a period of two years from the date of publication of Bio-Medical Waste Management (Amendment) Rules, 2018;”.
4. In the principal rules, in rule (5), in clause (c), for the words “within one year”, the words, letters and figures “in accordance with the guidelines issued by the Central Pollution Control Board by 27th March, 2019” shall be substituted.
5. In the principal rules, in rule 7, in clause (8),—

- (a) for the words “phase out use of non-chlorinated plastic bags”, the words “phase out use of chlorinated plastic bags” shall be substituted;
- (b) for the words and figures “the Plastic Waste Management Rules, 2011”, the words and figures “the Plastic Waste Management Rules, 2016” shall be substituted.
6. In the principal rules, in rule 13, in sub-rule (2), for the words “Central Pollution Control Board on or before”, the words, figures, brackets and letter “Central Pollution Control Board in Form IVA before” shall be substituted.
7. In the Schedule I to the principal rules,—
- (a) in the Table under part 1—
- (i) against the category yellow,—
- (A) in item (g) under column (2), after the words “body fluid”, the words “, routine mask and gown” shall be inserted;
- (B) against item (h), for the entry under column (3), the following entry shall be substituted, namely:-
“Autoclave or Microwave or Hydroclave safe plastic bags or containers”;
- (C) against item (h), in the entry under column (4), for the portion beginning with “as per National AIDS Control Organisation”, and ending with “for incineration”, the following shall be substituted, namely:-
“as per World Health Organisation guidelines on Safe management of wastes from health care activities and WHO Blue Book, 2014 and thereafter sent for incineration”;
- (ii) against the category blue—
- (A) against item (a), for the entry under column (3), the following item shall be substituted, namely:-
“(a) Puncture proof and leak proof boxes or containers with blue colored marking”;
- (B) against item (b) for the entry under column (3), the following item shall be substituted, namely:-
“(b) Puncture proof and leak proof boxes or containers with blue colored marking”;
- (iii) in the Note, for the word and figures “Schedule - III”, the word and figures “Schedule - II” shall be substituted;
- (b) in Part - 2, in item (2), for the figures “10 %”, the figures “1% to 2%” shall be substituted;
8. In Schedule II to the principal rules,—
- (i) in serial number 1, in the Table under Part B relating to “Emission Standards”, in column heading under (3), for the letters and figure “mgNm³” the letters and figure “mg/Nm³” shall be substituted;
- (ii) in serial number 8, in item (1), the following Note shall be inserted, namely:-
“*Note—*
1. Above limits are applicable to the occupiers of Health Care Facilities (bedded) which are either connected with sewerage network without terminal sewage treatment plant or not connected to public sewers.
2. For discharge into public sewers with terminal facilities, the general standards as notified under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) shall be applicable.
3 Health Care Facilities having less than ten beds shall have to install Sewage Treatment Plant by the 31st December, 2019.
4 Non-bedded occupiers shall dispose infectious liquid wastes only after treatment by disinfection as per Schedule - II (6) of the principal rules.”.
9. In Schedule - III to the principal rules,—
- (i) against serial number 3, in item (i) under column (3), for the brackets, word and figure “(Rule 9)”, the brackets, word and figure “(Rule 10)” shall be substituted;
- (ii) against serial number 4, in item (viii) under column (3), for the brackets, word and figure “(Rule 9)”, the brackets, word and figure “(Rule 12)” shall be substituted.

10. In the principal rules, after Form IV, the following Form shall be inserted, namely:—

“Form IVA

[See rule 13(2)]

Format for Submission of the Annual Report Information on Bio-medical Waste Management (to be submitted by the State Pollution Control Boards or Pollution Control Committees and Director General Armed Forces Medical Services to Central Pollution Control Board on or before 31st July of every year for the period from January to December of the preceding calendar year)

Part-1 (Summary of Information)

- | | | | |
|--------|--|---|--------------|
| (1) | Name of the Organisation | : | |
| (2) | Name of the Nodal Officer with contact telephone number and e-mail | : | |
| (3) | Total no. of Health Care Facilities / Occupiers | : | |
| (i) | Bedded Hospitals and Nursing Homes (bedded) | : | |
| (ii) | Clinics, dispensaries | : | |
| (iii) | Veterinary institutions | : | |
| (iv) | Animal houses | : | |
| (v) | Pathological laboratories | : | |
| (vi) | Blood banks | : | |
| (vii) | Clinical establishment | : | |
| (viii) | Research Institutions | : | |
| (ix) | AYUSH | : | |
| (4) | Total no. of beds | : | |
| (5) | Status of authorisation | : | |
| (i) | Total number of Occupiers applied for authorisation | : | |
| (ii) | Total number of Occupiers granted authorisation | : | |
| (iii) | Total number of application under consideration | : | |
| (iv) | Total number of applications rejected | : | |
| (v) | Total number of Occupiers in operation without applying for authorisation | : | |
| (6) | Quantity of Bio-medical Waste Generation (in kg/day) | : | |
| | (please enclose District Wise Bio-medical Waste Generation as per Part-2) | | |
| (i) | Bio-medical waste generation by bedded hospitals(in kg/day) | : | |
| (ii) | Bio-medical waste generation by non-bedded hospitals (in kg/day) | : | |
| (iii) | Any other | : | |
| | Total | : | _____ Kg/day |
| (7) | Bio-medical waste treatment and disposal | | |
| (a) | By Captive bio-medical waste treatment and disposal by Health Care Facilities (please enclose details as per Part-3) | | |
| (i) | Number of Health Care Facilities having captive treatment and Disposal facilities | : | |
| (ii) | Total bio-medical waste treated and disposed by captive treatment facilities in kg/day | : | |
| (b) | Bio-medical waste treatment and disposal by Common Bio Medical Waste Treatment Facilities (please enclose details as per Part 4) | | |
| (i) | Number of Common Bio Medical Waste Treatment Facilities in Operation | : | |
| (ii) | Number of Common Bio Medical Waste Treatment Facilities under construction | : | |

Medical Waste Treatment Facilities with contact person name and telephone number			by Common Bio-Medical Waste Treatment Facilities	being covered		collected from member Health Care Facilities (in Kg/day)	Equipment	Numbers	Total installed capacity (kg/day)	kg/day	tics)
							Incinerator				Incineration Ash:
							Plasma Pyrolysis				Quantity: Disposed by:
							Autoclave Hydroclave				Sharps:
							Microwave				Quantity: Disposed by:
							Shredder				Plastics:
							Sharps encapsulation or concrete pit				Quantity: Disposed by:
							Deep burial pits				
							Any other equipment				
							Effluent Treatment Plant				ETP Sludge: Quantity: Disposed by:
							Sub-total				

- (a) Total Number of transportation vehicles used for collection of Bio-medical Waste on daily basis by the Common Bio-Medical Waste Treatment Facilities:
- (b) List of Health Care Facilities not having membership with the Common Bio-Medical Waste Treatment Facilities and neither having captive treatment facilities:
- (c) Number of trainings organised by the Common Bio-Medical Waste Treatment Facility operators:
- (d) Number of Accidents **reported by the Common Bio Medical Waste Treatment Facilities**.”

[F. No. 3-1/2000-HSMD]
RITESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, PART II—Section 3—Sub-section (i), vide G.S.R. 343(E), dated the 28th March, 2016.